



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460

GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

पत्रांक : 5567 / द०वि०वि०नि०लि० / आगरा / जीएसटी

दिनांक ०२/१०/२०१७


विषय :- जी. एस. टी. से सम्बन्धित दिशा-निर्देश (RCM के सम्बन्ध में)

मुख्य अभियन्ता (वि०) / (सामग्री प्रबन्ध-1 / सामग्री प्रबन्ध-2)
(तकनीकी) / (वाणिज्य) / (जानपद),
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा / अलीगढ़ / कानपुर / झाँसी / बाँदा।

अधीक्षण अभियन्ता (मण्डार) /
अधिसासी अभियन्ता (विद्युत मण्डार खण्ड)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा / अलीगढ़ / कानपुर / झाँसी / बाँदा।

इस कार्यालय द्वारा निर्गत जी०एस०टी० दिशा-निर्देश से सम्बन्धित पत्र सं०-5023/द०वि०वि०नि०लि० / आगरा/जीएसटी दिनांक 11.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके बिन्दु सं०-6.2 (अपजीकृत वस्तु/सेवा प्रदाता को होने वाले भुगतान) पर Reverse Charge Mechanish (RCM) के अन्तर्गत जी०एस०टी० की देयता को भारत सरकार के नोटिफिकेशन सं०-38/2017-Central Tax (Rate) दिनांक 13.10.2017 द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक स्थगित किया गया है। परन्तु उक्त पत्रांक के बिन्दु सं०-6.1 के अन्तर्गत निगम पर Reverse Charge Mechanish (RCM) में जी०एस०टी० की देयता यथावत् रहेगी।


जी०एस०टी० दिशा-निर्देश DVVNL की वेबसाइट www.dvvn.org पर अपलोड किये जाते हैं। अतः समय-समय पर वेबसाइट (www.dvvn.org) का अवलोकन करते रहें।


(डी०के० अग्रवाल)
महा प्रबन्धक (वित्त)

पत्रांक 5567 / द०वि०वि०नि०लि० / आगरा / जीएसटी / दिनांक ०२/१०/२०१७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य/का०प्र० एवं प्रशा०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
2. उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०।
4. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०।


(डी०के० अग्रवाल)
महा प्रबन्धक (वित्त)